



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL  
SHAHDOL Division , SHAHDOL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100010133/FNOC/COL/2023/6331/1564  
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 27, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-Jul-23  
आवेदक का नाम / Applicant Name : SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY MIXED HIGH SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : MR.VINOD KUMAR(HEAD MASTER) M/S SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY MIXED HIGH SCHOOL SHAHDOL 484001  
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval  
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 4 ( मीटर में / Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 7007 ( Sq.Mtr )  
संपत्ति का पता / Property Address : M/S SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY SHAHDOL SHAHDOL NAGAR PALIKA  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100010133 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,

MR. VINOOD KUMAR (HEAD MASTER)  
SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY MIXED HIGH SCHOOL SHAHDOL  
जिला शहडोल (म0प्र0)

विषय - SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY MIXED HIGH SCHOOL SHAHDOL के 3575-00 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 04.00 मीटर ऊंचे भवन हेतु फायर प्लान प्रदाय किये जाने के संबंध में।

विषयान्तर्गत SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY MIXED HIGH SCHOOL SHAHDOL द्वारा अपने विद्यालय भवन (SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY MIXED HIGH SCHOOL) क्षेत्रफल 3575-00 वर्गमीटर एवं 04.00 मीटर ऊंचे भवन में फायर सेफ्टी प्लान हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर CONSULTANT से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी 53 बिन्दु की जानकारी, फायर प्लान, फायर कन्सल्टेंट, आवेदन कर्ता के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है। गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया, और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL  
SHAHDOL Division , SHAHDOL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100010133/FNOC/COL/2023/6331  
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 27, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-Jul-23  
आवेदक का नाम / Applicant Name : SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY MIXED HIGH SCHOOL

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.



अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100010133/FNOC/COL/2023/6331

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 27, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-Jul-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY MIXED HIGH SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

- (2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में चिन्हित परिसंचरण मार्ग वाहन आवागमन हेतु बाधारहित रखना अनिवार्य होगा।
4. भूमि विकास अधिनियम 2012 में अग्नि सुरक्षा के लिये आवासीय/व्यवसायिक/शैक्षणिक/औद्योगिक परिसर हेतु उल्लेखित प्रावधान/नियमों एवं एम.ओ.एस. का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. निर्मित भवन/व्यवसायिक भवन /औद्योगिक भवन परिसर में अग्नि शमन सुरक्षा हेतु नियुक्त व्यक्ति/कर्मों को अग्नि सुरक्षा सम्बंधी प्राथमिक उपाय एवं फायर सिस्टम के संचालन का प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।
6. अग्नि सुरक्षा सम्बंधी उपाय/उपकरण स्थापित किये जाने के उपरांत अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/ उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 01 वर्ष की अवधि जो कम हो हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में फायर उपकरण स्थापना की कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।
9. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
10. आवेदक को प्रोविजनल फायर प्लाओन में प्रस्तावित फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि शमन प्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण करने के उपरांत वैधानिक रूप से आवश्यक " अनापति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके। तदुपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा।
11. आवेदक द्वारा स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा विभाग द्वारा प्रदाय प्रोविजनल फायर सर्टिफिकेट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
12. प्लाहान अनुमोदित होने के उपरांत प्रतिवर्ष फायर ऑडिट कराया जाकर ऑडिट रिपोर्ट अग्नि शमन प्राधिकारी के कार्यालय प्रेषित करना अनिवार्य होगा।



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL  
SHAHDOL Division , SHAHDOL  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन पकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100010133/FNOC/COL/2023/6331  
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 27, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 03-Jul-23  
आवेदक का नाम / Applicant Name : SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY MIXED HIGH SCHOOL

अतः अनुसशा अनुसार उपरोक्तश लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत फायर प्लानि जारी करने हेतु अग्निमन प्राधिकारी द्वारा प्रदाय की गई है। और तदनुसार स्वीपकृति आदेश जारी किया जाता है।

**RAMESHWAR PRASAD SONI** Digitally signed by  
RAMESHWAR PRASAD SONI  
Date: 2023.07.03  
17:56:30 +05'30'

Joint Director/Fire Officer SHAHDOL

SHAHDOL Division , SHAHDOL  
Madhya Pradesh